स्पिक औषधीय खण्ड

बनाम

एस. ई. सी. के तहत प्राधिकरण

ए. पी. और ए. एन. डी. आर. का 48 (1)

28 फरवरी, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और तरुण चटर्जी, जे. जे.]

श्रम कानूनः

बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976:

चिकित्सा प्रतिनिधि-सेवा-शिकायत निवारण-मंच से बर्खास्तगी, तथ्यों पर, आई. डी. अधिनियम के तहत बनाए गए मंच उठाए गए मुद्दों से अधिक प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं-मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में, संबंधित राज्य सरकारों को आई. डी. अधिनियम-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947-आंध्र प्रदेश दुकान डी और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1988 के तहत उपयुक्त मंचों का संदर्भ देने का निर्देश दिया गया।

औषधीय उत्पादों के निर्माताओं, अपीलकर्ताओं ने अपने कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त कर दिया, जिन्हें चिकित्सा प्रतिनिधियों के रूप में जाना जाता है। कर्मचारियों ने आंध्र प्रदेश दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1988 के तहत अपीलीय प्राधिकरण से संपर्क किया। गुण-दोष के आधार

पर अपीलों को लड़ने के अलावा, नियोक्ताओं ने तर्क दिया कि बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976 को देखते हुए, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत केवल श्रम न्यायालय के पास इस मामले में अधिकार क्षेत्र था और दुकान अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र को हटा दिया गया था। अपीलीय प्राधिकरण ने नियोक्ताओं की दलीलों को खारिज कर दिया और कर्मचारियों को पिछले वेतन के साथ बहाल करने का निर्देश दिया। रिट याचिकाओं और उच्च न्यायालय के समक्ष रिट अपीलों में भी असफल रहने के बाद, नियोक्ताओं ने अपील दायर की।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्णीत किया-

1. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 जी के तहत मामले के तथ्यों पर बनाए गए मंच उठाए गए मुद्दों से अधिक प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं। यह समझ में नहीं आता है कि इस न्यायालय ने कहा है कि दुकान अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकरणों के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह न्यायालय वास्तव में इस मुद्दे पर निर्णय नहीं ले रहा है कि क्या ए. पी. की धारा 48 (1) के तहत प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र का बहिष्कार किया गया था। दुकानें अधिनियम के तहत क्योंकि यह विशेष रूप से प्रदान करता है कि अधिनियम के तहत मंच से संपर्क किया जा सकता है। [पैरा 5]

1. 2.यह स्पष्ट किया जाता है कि न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है और इसमें शामिल विशेष विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्देश का आदेश दिया जा रहा है। आम तौर पर यह राज्य सरकार को तय करना होता है कि संदर्भ किया जाना है या नहीं, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में और पक्षों के वकील द्वारा स्वीकार की गई स्थिति को देखते हुए कि औद्योगिक विवाद मौजूद हैं, संबंधित राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे विवाद को आई. डी. अधिनियम के तहत न्यायनिर्णयन के लिए मंच को भेजें।[पैरा 5]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2004 की सिविल अपील सं. 766

(2001 के डब्ल्यू. पी. सं. 22735 में हैदराबाद में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक <आई. डी. 1 के निर्णय और अंतिम आदेश से।)

के साथ

(सिविल अपील सं. 2004 की 768,2004 की 767 और 2004 की 1498)

एस. गणेश, बी. राणा, विक्रांत राणा, अमाया सिंह, सुनंदा यांगलेम (मेसर्स एसएस राणा एंड कंपनी के लिए) अपीलार्थी के लिए कुलदिप परिहार, एच. एस. परिहार, एस. वी. देशपाण्डे।

उत्तरदाताओं के लिए आर. संथन कृष्णन, के. राधा रानी, प्रवीण के. पांडे, विजय कुमार, डी. महेश बाबू, के. सी. शास्त्री, बी. पार्थ सारथी, आर. वी. कामेश्वरन, डी. भारती रेड्डी, पी. विनय कुमार और स्नेहा भास्करन।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. अरिजीत पासायत, जे.

1. इन अपीलों में चुनौती आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा दिए गए फैसले की वैधता के लिए है। विवादित फैसले से अपीलार्थियों द्वारा दायर कई रिट अपीलों और रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय के समक्ष मामलों में विचार के लिए जो मुख्य प्रश्न उठा वह यह था कि क्या बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976 (संक्षेप में 'अधिनियम') के प्रावधान जी आंध्र प्रदेश दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'दुकानें अधिनियम') के तहत गठित प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र को हटा देते हैं और इसके परिणामस्वरूप दुकान अधिनियम के तहत प्राधिकरणों को पीड़ित बिक्री संवर्धन कर्मचारियों द्वारा पसंद की गई अपीलों पर विचार करने से बाहर रखा जाता है। उनकी सेवाओं की समाप्ति को चुनौती देना। आगे सवाल यह था कि क्या दुकान अधिनियम के तहत गठित प्राधिकरणों के पास बिक्री संवर्धन कर्मचारियों द्वारा अपनी सेवाओं को समाप्त करने में कर्मचारियों की कार्रवाई को चुनौती देने वाली किसी भी अपील पर विचार

करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दायर कई रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था और इसलिए, बी रिट अपील दायर की गई थी। दुकान अधिनियम के तहत अधिकारियों के उन आदेशों को, जिन्हें रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई थी, एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसमें कर्मचारियों को पिछले वेतन के साथ सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया गया था। प्रत्येक मामले में अपीलार्थी औषधीय उत्पादों के निर्माण में शामिल होता है। इसने अपने निर्मित उत्पादों के विपणन के उद्देश्य से कर्मचारियों की सेवाओं को नियुक्त किया है। आम बोलचाल में दवा कंपनियों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिनिधियों के रूप में जाना जाता है। संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ आरोप पत्र जारी किए गए और पूछताछ के बाद कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया।कर्मचारियों ने बर्खास्तगी के आदेशों को चुनौती देते हुए श्रम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया, लेकिन बाद में उन्होंने उन्हें वापस ले लिया और कुछ मामलों में संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने में देरी के लिए माफी के साथ डी अधिनियम के तहत प्राधिकरण का रुख किया। नियोक्ता द्वारा उठाई गई गंभीर आपत्तियों के बावजूद, संबंधित प्राधिकरण ने देरी को माफ कर दिया। दाखिल की गई रिट याचिकाओं और वरीयता प्राप्त रिट अपीलों को खारिज कर दिया गया।

2. वर्तमान अपीलों में अपीलकर्ताओं का रुख यह था कि दुकान अधिनियम के तहत ई. प्राधिकरण को कर्मचारियों द्वारा पेश की जाने वाली तथाकथित अपीलों पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि कर्मचारियों की सेवा शर्तों को अधिनियम के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाता था जो एक विशेष अधिनियम है। सक्षम प्राधिकारी ने नियोक्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया। अधिकारिता के संबंध में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संबंधित अपीलीय प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार क्षेत्र के भीतर कार्रवाई के कारण और इसलिए, नियोक्ता की याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है। रिट अपील में विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ दोनों ने माना कि अपीलीय अधिकारियों के आदेश क्रम में थे।इसने इस रुख को स्वीकार नहीं किया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में 'आईडी अधिनियम') के तहत बनाया गया मंच एकमात्र मंच था और विवादों को किसी अन्य मंच पर नहीं उठाया जा सकता है।

3. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि संसद ने अधिनियम को अधिनियमित किया क्योंकि उसने सोचा कि एच. बिक्री संवर्धन कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने के लिए एक अलग कानून बनाना अधिक उचित होगा और तदनुसार एस. पी. आई. सी. फार्मास्यूटिकल्स डिवीजन बनाम एस. ई. सी. के तहत प्राधिकरण के प्रावधान किए। ए पी का 48 (1)। आई. डी. अधिनियम लागू होता है जो

बिक्री संवर्धन कर्मचारियों को आई. डी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत बनाए गए और गठित मंच में बर्खास्तगी, निर्वहन या छंटनी के आदेशों को चुनौती देता है। संसद ने बिक्री संवर्धन कर्मचारियों के लिए कुछ अधिनियमों को लागू करने के लिए निर्दिष्ट किया है जिनमें कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, बोनस का भुगतान अधिनियम, 1965 और बी ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम, 1972 शामिल हैं। इन अधिनियमों के अलावा दुकान अधिनियम सहित कोई अन्य अधिनियम लागू नहीं होगा।

4. जवाब में प्रत्यर्थी-कर्मचारियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि कर्मचारियों के लिए दो मंच उपलब्ध हैं अर्थात आई. डी. अधिनियम और दुकान अधिनियम के प्रावधानों के तहत। यह कर्मचारी के लिए है कि वह या तो बनाए गए मंचों यानी आई. डी. अधिनियम के तहत गठित मंच या दुकान अधिनियम के तहत गठित प्राधिकरणों से संपर्क करके कानूनी रूप से उसके लिए उपलब्ध उपाय सी का चयन करे।

5. उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि जो अधिनियम डी आई. डी. अधिनियम के प्रावधानों को बिक्री संवर्धन कर्मचारियों को अनुतोष प्रदान करने के लिए लागू करता है, वह एक विशेष अधिनियम है जो दवा उद्योगों में लगे प्रतिष्ठानों में कार्यरत बिक्री संवर्धन कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित है। दुकान अधिनियम उस अधिनियम के तहत बनाए गए

विशिष्ट अधिकारों से संबंधित है और यह संकेत दिया गया है कि इन प्रावधानों में कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए कुछ और उपाय किए गए हैं।वे प्रकृति में लाभदायक हैं। उच्च न्यायालय ने ई को अभिनिर्धारित किया कि दुकान अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकार क्षेत्र को अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में छीन नहीं लिया गया है। हम समझते हैं कि इन व्यापक मुद्दों में जाना अनावश्यक है।हम पाते हैं कि मामले के तथ्यों पर आई. डी. अधिनियम के तहत बनाए गए मंच उठाए गए मुद्दों से अधिक प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं।यह समझने की बात नहीं है कि हमने कहा है कि दुकान अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकरणों के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है। हम वास्तव में इस मुद्दे पर निर्णय नहीं ले रहे हैं कि क्या दुकान अधिनियम के तहत अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र का बहिष्कार किया गया था क्योंकि इसमें विशेष रूप से प्रावधान किया गया था कि आईडी अधिनियम के तहत मंच से संपर्क किया जा सकता है।इसलिए, विशिष्ट परिस्थितियों में, हम निर्देश देते हैं कि संबंधित राज्य सरकारें अर्थात कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र आज से एक महीने के भीतर आई. डी. अधिनियम के तहत उपयुक्त जी. फोरम का संदर्भ दें।संबंधित मंच संदर्भ की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर किए जाने वाले संदर्भ का निपटारा करने का प्रयास करेगा।यदि प्रतिवादी कर्मचारी विवादों के लंबित होने के कारण किसी भी भुगतान के हकदार हैं, तो उसका भुगतान आज से दो महीने के भीतर किया जाएगा।

हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमारे पास एच 432 है। मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की गई है और इसमें शामिल विशेष विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्देश का आदेश दिया जा रहा है। आम तौर पर यह राज्य सरकार को तय करना है कि संदर्भ दिया जाना है या नहीं, लेकिन पक्षों के विद्वान वकील द्वारा स्वीकार की गई स्थिति को देखते हुए कि औद्योगिक विवाद मौजूद हैं, हम संबंधित राज्य सरकारों को निर्देश देते हैं कि वे विवाद को आई. डी. बी. अधिनियम के तहत मंच को निर्णय के लिए भेजें जैसा कि ऊपर निर्देश दिया गया है।

अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है और लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

आर. पी.

अपीलों का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

**<u>अस्वीकरण</u>** - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।